

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 8/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO: 2024/7

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश मक्कड पिता श्री घनश्याम दास मक्कड, पंजाबी, विक्रेता एव मालिक मैसर्स Honey icecream G-1:316 – कल्लडवास, भामाशाह इण्डस्ट्रीयल ऐरिया तह.गिर्वा जिला उदयपुर। स्थाई पता— मकान न. F परशुराम चौराह, 100 फीट रोड उदयपुर हाल निवासी 2 ए, काशीपुरी से. 5 हिरणमगरी उदयपुर मो. 9214914676

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षी।

प्रकरण संख्या 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011



●निर्णय●

दिनांक 24-05-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 11.04.2023 को दोपहर 04.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स Honey icecream G-1:316 – कल्लडवास, भामाशाह इण्डस्ट्रीयल ऐरिया तह.गिर्वा जिला उदयपुर पर पहुँचा, वहाँ विपक्षी श्री राकेश मक्कड उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स Honey icecream G-1:316 – कल्लडवास, भामाशाह इण्डस्ट्रीयल ऐरिया तह.गिर्वा जिला उदयपुर का विक्रेता/मालिक होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

(Handwritten Signature)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



निरीक्षण के समय विक्रेता की फेक्ट्री पर कोल्ड स्टोर में करीब 90 नग आईसकीम गत्ते के बॉक्स में रखे पाये गये। उक्त में से 1 बॉक्स खोलकर देखने पर इसमें मिडीयेम फैट आईसकीम (श्री मन आईसकीम) सुपर वनिला के 70 एमएल वाले 24 नग पैक स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से 20 नग (श्री मन आईसकीम) सुपर वनिला के 70 एमएल वाले वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा आईसकीम की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 150रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा आईसकीम को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारों में बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 42 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2200 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूने के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूने के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर में सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर में सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4514 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/289/एक्ट/2023/289 दिनांक 24.04.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना आईसकीम सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि B.R.Reading at 40° C , of extracted fat. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 46 पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4515 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा विक्रेता/मालिक को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



एस.एस.ए./2023/30 दिनांक 02.01.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केंस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विक्रेता को टर्नऑवर 12 लाख वार्षिक से अधिक है।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया वह केंसर से पीडीत है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधार कर ली है। अपना अपना जुर्म स्वीकार किया तथा कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता की फेक्ट्री पर कोल्ड स्टोर में करीब 90 नग आईसक्रीम गत्ते के बॉक्स में रखे पाये गये। उक्त में से 1 बॉक्स खोलकर देखने पर इसमें मिडीयम फैट आईसक्रीम (श्री मन आईसक्रीम) सुपर वनिला के 70 एमएल वाले 24 नग कप कम्पनी पैक स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से 20 नग (श्री मन आईसक्रीम) सुपर वनिला के 70 एमएल वाले वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया, क्योंकि **B.R.Reading at 40° C , of extracted fat. 40.0-44.0** होना चाहिए था, कि जगह **46** पाया गया।


मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए एवं आरोपी जो कि केंसर से पीडीत है उसकी अवस्था को ध्यान में रखकर आरोपी कम आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹25,000/-रु अक्षरे रूपया पच्चीस हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)